न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ (सीकर)

प्रकरण सं0. 173/2013/दावा दुरूस्ती

प्रहलाद सिंह पुत्रश्री बक्सूसिंह जाति राजपूत निवासी सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
—प्रार्थी/वादी

ब ना म

1. लादूसिंह पुत्रश्री हणमानसिंह
2. रतनसिंह पुत्रश्री पृथ्वीसिंह
3. किशोर कंवर बेवा हणमान सिंह
4. गजेन्द्र सिंह } पुत्रगण हणमानसिंह
5. दिलीपसिंह }
6. उच्छव कंवर बेवा जतन सिंह
7. बिदामकंवर बेवा नन्द सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

8. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति—

1. श्री लक्ष्मणसिंह शेखावत वकील वादी की ओर से
2. श्री हनुमान प्रसाद जांगिड़ वकील प्रतिवादीसं. 1, 2 व 7 की ओर से

निर्णय दिनांक— 25.03.2015

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में कृषि भूमि ख.नं. 624 रकबा 2.45 है0, 627 रकबा 0.64 है0, 628 रकबा 1.38 है0 किता 3 कुल रकबा 4.47 है0 अवस्थित है जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा अर्थात 71/576 हि0 का खातेदार खुद काश्त है तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 1/576 हिस्सा है तथा इसी मुताबिक वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 काबिज है। प्रतिवादी सं. 3 ता 7 का वादास्पद कृषि भूमियों से कोई सम्बन्ध सरोकार व कब्जा नहीं है क्योंकि प्रतिवादी सं. 3 ता 7 जो कि राजकंवर बेवा समन्दरसिंह राजपूत नि. सुरेरा के वारिस है, अपना संपूर्ण हिस्सा का पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 07.5.1992 को वादी को विक्रीत कर चुके है। ग्राम सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में कृषि भूमि पुराना ख.नं. 439, 440, 442 ति 3 कुल रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा अवस्थित है जिसके दौराने वर्तमान सैटिलमेंट ख.नं. 624, 627, 628 किता 3 कुल रकबा 4.47 है0 अंकित किये गये है। वादी ने पूर्व खातेदार श्री जयसिंह पुत्रश्री शैतानसिंह, नंद भंवरसिंह पुत्रश्री अमरसिंह, फतेहकंवर बेवा अमरसिंह, रेवतसिंह, दशरथसिंह पुत्रगण पृथ्वीसिंह, तेजसिंह पुत्रश्री सुमेरसिंह, दरियावकंवर पत्नी रिछपालसिंह, छत्रपालसिंह, महिपालसिंह पुत्रगण चैनसिंह, किशोरकंवर बेवा हणमानसिंह, गजेन्द्रसिंह, दिलीपसिंह पुत्रगण हणमानसिंह, मु. उच्छवकंवर बेवा जतनसिंह, बिदामकंवर बेवा नन्दसिंह, जगदीश सिंह, भानसिंह पुत्रगण बक्सूसिंह राजपूत निवासीगण सुरेरा ने अपने खातेदारी वं कब्जा काश्त की

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

संपूर्ण भूमि वादी को पूर्ण प्रतिफल लेकर दिनांक 07.5.92 को जरिये विक्रय पत्र पंजीकृत विक्रीत कर दी, चूंकि विक्रय के समय खातेदार मु. राजकंवर बेवा समुन्द्रसिंह का स्वर्गवास हो चुका था इसलिए मृतका का संपूर्ण हिस्सा उसके वारिसान प्रतिवादी सं. 3 ता 7 ने वादी को विक्रीत कर दिया था। इसका उल्लेख विक्रय पत्र दिनांक 07.5.92 में किया हुआ है। इसलिए वाद पत्र के पैरा सं. 1 में वर्तमान भूमियों में प्रतिवादी सं. 3 ता 7 का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा उनका नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर पर दर्ज है, को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी का नाम प्रतिस्थापित किया जाना न्यायसंगत है। लिपिकीय भूलवश राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में सहकाश्तकार प्रतिवादी सं. 1 व 2 लादूसिंह व रतनसिंह को व वादी को 1/8 हिस्सा में बराबर बराबर दर्ज कर दिया, जबकि लादूसिंह व रतनसिंह प्रतिवादी सं. 1 व 2 का हिस्सा 1/576 बनता है तथा का वादी का हिस्सा 71/576 बनता है इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाना प्रार्थनीय है। दिनांक 24.02.2012 को प्रातः 8 बजे प्रतिवादीगण वादी के खातेदारी अधिकारों को चुनौती दी व राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने में सहयोग करने से स्पष्ट इंकार कर दिया व बेदखली की धमकी दी जिस पर वाद कारण उत्पन्न होकर वाद प्रस्तुत किया जाना लाजिम आया है। अंत में यह इश्तदुआ चाही है कि ग्राम सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि ख.नं. 624 रकबा 2.45 है0, 627 रकबा 0.64 है0, 628 रकबा 1.38 है0 का 71/576 हिस्से का वादी को तथा 1/576 हिस्से का प्रतिवादी सं. 1 व 2 को खातेदार काश्तकार खुद काबिज घोषित किया जावें। प्रतिवादी सं. 3 ता 7 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर उनके स्थान पर वादी का नाम प्रतिस्थापित किया जावें। प्रतिवादी सं. 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वे वाद पत्र के मद सं. 1 में वर्णित भूमियो से बेदख्ल करने एवं कब्जा करने, काश्त में मजाहमत व मदाखलन करने से बाज रहे। वाद वादी डिक्री किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती फरमाई जावें। वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत् 2054–57, रिपोर्ट पटवारी, प्रार्थना पत्र तहसीलदार दांतारामगढ, सजरा खानदान प्रमाण पत्र ग्रा.पं. सुरेरा, फोटो प्रति विक्रय पत्र, फोटो प्रति जमाबंदी पेश की गई।

2. वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 3 ता6, 8 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1, 2, 7 की ओर से वकील श्री हनुमान प्रसाद जांगिड़ हाजिर हुए व इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल मिसल है। वकील वादी ने वाद के समर्थन में वादी प्रहलादसिंह पीडब्ल्यू–1 के बयान शपथ पत्र पेश किया व साक्ष्य एक्जी. करवाये गये तथा बयान शपथ पत्र के समर्थन में पीडब्ल्यू–2 दुर्गाप्रसाद, पीडब्ल्यू–3 शिवभगवान के शपथपत्र पेश किये गये।
3. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषक गण की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं वकील प्रतिवादी ने इकबालिया जवाब के तथ्यों को बहस के दौरान कथन किया।
4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषक गण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.5.92 के द्वारा जयसिंह पुत्र शैतानसिंह, नंदभंवर पुत्र अमरसिंह, फतेहकंवर बेवा अमरसिंह, रेवतसिंह, दशरथसिंह पुत्रगण श्री पृथ्वीसिंह, तेजसिंह पुत्र सुमेरसिंह, दरयावकंवर पत्नी रिछपालसिंह, छत्रपालसिंह, महिपालसिंह पुत्रगण श्री चैनसिंह, मु. किशोरकंवर बेवा हणमानसिंह, गजेन्द्रसिंह, दलीपसिंह पि. हणमानसिंह, मु. उच्छवकंवर बेवा जतनसिंह, बिदामकंवर बेवा नंदसिंह, जगदीशसिंह, भानसिंह पुत्रगण बक्सूसिंह जाति राजपूत निवासीगण सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा ग्राम सुरेरा की तन में अवस्थित भूमि ख.नं. 439, 440, 442 किता 3 कुल रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा में से हमारा हिस्सा संपूर्ण का सहखातेदार प्रहलादसिंह पुत्रश्री बक्सुसिंह जाति राजपूत निवासी सुरेरा तहसील दांतारामगढ को बेचान किया गया। जिसके

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

आधार पर ना.करण दर्ज किया गया। पटवारी हल्का भारीजा की रिपोर्ट है कि जयसिंह पुत्र शैतानसिह, नंदभंवर पुत्र अमरसिंह, फतेहकंवर बेवा अमरसिंह, रेवतसिंह दशरथसिंह पुत्रगण पृथ्वीसिंह, तेजसिंह पुत्र सुमेरसिंह, दरियावकंवर स्त्री रिछपालसिंह, छत्रपालसिंह महिपालसिंह पुत्र चैनसिंह, किशोरकंवर बेवा हणमानसिंह, गजेन्द्रसिंह दलीपसिंह पि. हणमानसिंह, उच्छवकंवर बेवा जतनसिह, बिदामकंवर बेवा नन्दसिंह, जगदीशसिंह भानसिंह पुत्रगण बक्सूसिंह की खातेदारी ग्राम सुरेरा की आधार वर्ष जमाबंदी 2051 के खाता सं. 75 पर ख.नं. 624 रकबा 2.45, 627 रकबा 0.64, 628 रकबा 1.38 किता 3 कुल रकबा 4.47 है. पर थी दिनांक 07.5.1992 को पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा उक्त खातेदारों द्वारा अपना संपूर्ण हिस्सा केता प्रहलादसिह पुत्र बक्सूसिंह जाति राजपूत नि. सुरेरा को विक्रय कर दिया था जो हिस्सा पूर्व जमाबंदी के अनुसार संपूर्ण हिस्सा प्रहलादसिंह पुत्र बक्सुसिंह का हि. जोड़ते हुए हि. 1/8 होना चाहिए था तथा जो सह खातेदार लादूसिंह पि. हणमानसिंह, रतनसिंह पि. पृथ्वीसिंह को भी प्रहलादसिंह पुत्र बक्सुसिंह हि. 1/8 में बराबर दर्ज कर दिया गया है जबकि रतनसिंह व लादूसिंह का हि. 1/576 ही बनता है तथा प्रहलादसिंह पुत्र श्री बक्सुसिंह का हि. 71/576 बनता है जो सहखातेदार रतनसिंह व लादूसिंह की सहमति लिये जाने पर उक्त हिस्सा वर्तमान रेकार्ड में सही हो सकता है। इस सम्बन्ध में प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने इकबालिया जवाब देकर कथन किया है कि वादी का वाद डिक्री किये जाने में प्रतिवादी सं. 1 व 2 को आपति नहीं है। प्रतिवादी सं. 3 ता 7 द्वारा अपने हिस्से का बेचान वादी को दिनांक 07.5.92 के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में किया जा चुका है। वाद में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के हिस्से की उद्घोषणा वादी के पक्ष में की जानी है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि खातेदार/विक्रेताओं द्वारा अपना संपूर्ण हिस्सा केता प्रहलादसिंह पुत्रश्री बक्सुसिंह जाति राजपूत नि. सुरेरा को बेचान कर चुके है। खातेदार राजकंवर की मृत्यु हो चुकी है एवं उनके वारिसान द्वारा अपना हिस्सा बेचान किया जा चुका है इसलिए वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदी में किया गया अंकन हजफ किये जाने योग्य है तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा इकबालिया जवाब देने से वादी को विवादित आराजियात ख.नं. 624, 627, 628 किता 3 कुल रकबा 4.47 हि. में से हि. 71/576 एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का हिस्सा 1/576 उद्घोषित किये जाने योग्य है। उपरोक्त अनुसार संशोधित किया जाना न्यायोचित है। अतः आदेश है कि विवादित आराजियात ख.नं. 624 रकबा 2.45 है0, 627 रकबा 0.64 है0 व 628 रकबा 1.38 है0 किता 3 कुल रकबा 4.47 है0 वाके ग्राम सुरेरा प.मं. भारीजा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी को 71/576 हि. तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 को 1/576 हि0 का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा मृतक राजकंवर के वारिसान द्वारा दिनांक 07.5.92 को अपना संपूर्ण हिस्सा वादी प्रहलादसिंह को बेचान किये जाने से वर्तमान जमाबंदी से नाम हजफ किये जाता है। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। शेष मुताबिक जमाबंदी बदस्तूर रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 25.03.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

डिकरी व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

इजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आरएएस

प्रहलादसिंह बनाम लादुसिंह आदि

दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 173/दावा/2013 निर्णय दिनांक 25.03.2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू जगदीश प्रसाद गौड़ आरएएस बहाजरी लक्ष्मणसिंह शेखावत वकील मिनजानिब मुद्दई श्री हनुमान प्रसाद जांगिड़ मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। अतः आदेश है कि विवादित आराजियात ख.नं. 624 रकबा 2.45 है0, 627 रकबा 0.64 है0 व 628 रकबा 1.38 है0 किता 3 कुल रकबा 4.47 है0 वाके ग्राम सुरेरा प.मं. भारीजा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी को 71/576 हि. तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 को 1/576 हि0 का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा मृतक राजकंवर के वारिसान द्वारा दिनांक 07.5.92 को अपना संपूर्ण हिस्सा वादी प्रहलादसिंह को बेचान किये जाने से वर्तमान जमाबंदी से नाम हजफ किये जाता है। शेष मुताबिक जमाबंदी बदस्तूर रहेगा। तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

बीज .... मुबलिग......... बाबत .... खर्चा इस मुकद्मे के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 मार्च, 2015 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	6	00			
मीजान	11	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ (सीकर)

प्रकरण सं0. 173/2013/दावा दुरूस्ती

प्रहलाद सिंह पुत्रश्री बक्सूसिंह जाति राजपूत निवासी सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादी

ब ना म

1. लादूसिंह पुत्रश्री हणमानसिंह
2. रतनसिंह पुत्रश्री पृथ्वीसिंह
3. किशोर कंवर बेवा हणमान सिंह
4. गजेन्द्र सिंह } पुत्रगण हणमानसिंह
5. दिलीपसिंह }
6. उच्छव कंवर बेवा जतन सिंह
7. बिदामकंवर बेवा नन्द सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

8. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति—

1. श्री लक्ष्मणसिंह शेखावत वकील वादी की ओर से
2. श्री हनुमान प्रसाद जांगिड़ वकील प्रतिवादीसं. 1, 2 व 7 की ओर से

निर्णय

दिनांक— 25.03.2015

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner